सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–र

प्रकरण : संख्या – 33/17 शीर्षक बादीलाल बनाम कानजी

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
21/5/18 बादीलाल	पत्रावली राजस्व न्याय आपके द्वारा 2018 के सम्पादन जोड़ अदालत / कोर्ट केस लगाया पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित हुए। पक्षकारान को समझाइश कि गयी। पक्षकारान विभाजन हेतु सहमत हुए। उक्त वाद उक्त स्थाई निषेधाज्ञा का होने से इसमें विभाजन नहीं किया जा सकता है। जिस हेतु तहसीलदार रेलमगरा के पास विभाजन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जिससे पक्षकारान सहमत हो गये। जिससे उक्त में कोई कार्यवाही बाकी शेष नहीं रही है। जिसके बाकी का वाद निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा